न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 225 RTA 2023-131 (GCMS 2023-361)

1. मोडाराम पुत्र अचलाराम
2. चैनाराम पुत्र गोकुलराम
3. बुधाराम पुत्र गोकुलराम
4. सोनाराम पुत्र श्रीराम उर्फ शिवराम
5. सुमेर पुत्र हरीराम
6. हिरादेवी पत्नी जस्साराम
7. राणाराम पुत्र जस्साराम
8. बाबुलाल पुत्र जस्साराम
9. गणेश पुत्र जस्साराम
10. बंशी सारण पुत्र जस्साराम

सभी जाति जाट, निवासीगण ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार लूणी
   जिला जोधपुर
2. उपखण्ड अधिकारी, लूणी

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी दिनांक 30 जून 2018 प्रकरण संख्यचा 412

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 17 अक्टू., 2023

यह अपील अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा "न्याय आपके द्वार 2018" कैम्प कोर्ट लूणी के दौरान प्रकरण संख्या 412 में पारित आदेश दिनांक 30 जून 2018 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 03 जुलाई 2023 को

17.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तुत की है। अपील के साथ अपीलाण्ट्स की ओर से भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट सालावास में दिनांक 04 मई 2018 को सरपंच ग्राम पंचायत सालावास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर पटवारी सालावास, भू.अ.निरीक्षक कांकाणी एवं तहसीलदार लूणी की सहमति रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प फोलोअप लूणी द्वारा दिनांक 30 जून 2018 को ग्राम सालावास के विभिन्न 60 खसरा नम्बरान में से भिन्न-भिन्न भूभाग को राजस्व अभिलेख में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये, जिनमें कम संख्या 59 पर खसरा संख्या 70 ग्राम सालावास कुल रकबा 68 बीघा 09 बिस्वा बारानी द्वितीय की 2 बीघा 06 बिस्वा भूमि भी सम्मिलित है। आलौच्य अपील अपीलाण्ट्स द्वारा स्वयं को उक्त खसरा संख्या 70 वाके मौजा सालावास कुल रकबा 68 बीघा 09 बिस्वा बारानी द्वितीय के स्वयं को सहखातेदारान होना जाहिर करते हुए प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार किये जाने का निवेदन करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट्स की सहखातेदारी की भूमि है, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें सूचना अथवा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उनकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश

17.X.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित किया गया है, क्योंकि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र कमांक प.12(3)राज.1/2016 दिनांक 24 अगस्त 2016 के प्रावधानों के तहत पेश किया गया है जिसके संबंध में विचारण न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए की शक्तियों का उपयोग करने का कोई क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं था। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के संबंध में अपीलण्ट्स को जानकारी होने पर उन्हें मिली विधिक सलाह के अनुसार न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत की, जो अपीलाधीन आदेश के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने बाबत अपीलाण्ट्स को स्वतन्त्र रखते हुए क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर दिनांक 13 फरवरी 2023 को खारिज कर दी गयी, जिसके खिलाफ प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थनापत्र भी 19 जून 2023 को खारिज कर दिया गया। अतः अपीलाण्ट्स को मिली विधिक सलाह से कार्यवाही करते हुए कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जावे। गुणावगुण के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने दोहराया कि वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट्स की सहखातेदारी की भूमि है, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें सूचना अथवा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उनकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी में से रास्ते की मांग वादग्रस्त आराजी के किसी पडौसी खातेदार द्वारा अपनी कृषि भूमि तक आवागमन हेतु रास्ते बाबत अनुतोष नहीं चाहा गया है, अपितु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र कमांक प.12(3)राज.1/2016 दिनांक 24 अगस्त 2016 के प्रावधानों के तहत पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में आलौच्य

17.8.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मामले में विचारण न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए की शक्तियों का उपयोग करने का कोई क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं था। अपीलाधीन आदेश में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र कमांक प.12(3)राज.1/2016 दिनांक 24 अगस्त 2016 तथा जिला कलेक्टर जोधपुर के पत्र कमांक भू.अ./रा.लो.अदा./2016/12663-12675 दिनांक 02 सितम्बर 2016 का हवाला दिया गया है किन्तु उक्त परिपत्र हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होता है। उक्त परिपत्र के अनुसार केवल राजस्व अभियान 2016 के दौरान ही कार्यवाही की जा सकती थी। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकारविहीन एवं विहित विधिक प्रकिया के वारित पारित किये जाने के कारण अपास्त किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि मौके पर वादग्रस्त आराजी का बतौर कच्चा रास्ता उपयोग में आने वाले भू-भाग बाबत ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश सार्वजनिक हित में राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसरण में पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में उल्लेखनीय है कि-

1. बरवक्त बहस प्रपत्र तीन के संलग्न अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स द्वारा जो नकल जमाबंदी संवत 2073-2076 पेश की गयी, उसके अवलोकन से अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड सहखातेदारान होना प्रकट होता है।
2. विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 जून 2018 पारित किये जाने के पूर्व वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड

17.X.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खातेदारान को कोई सूचना अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से प्रकट नहीं होता है।

3. आलौच्य मामले में वादग्रस्त आराजी के किसी पडौसी खातेदार द्वारा अपनी कृषि भूमि तक आवागमन हेतु रास्ते बाबत अनुतोष नहीं चाहा गया है, अपितु विचारण न्यायालय के समक्ष सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थनापत्र राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र कमांक प.12(3)राज.1/2016 दिनांक 24 अगस्त 2016 के प्रावधानों के तहत पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत क्षेत्राधिकार का बिन्दु भी विचारणीय हो जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के परिप्रेक्ष्य में गुणावगुण मामला पर सुदृढ पाया जाता है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 जून 2018 वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 70 वाके मौजा सालावास के संबंध में अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उपरोक्त आब्जर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में अपीलाण्टस को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए न्यायोचित एवं विधिसम्मतः आदेश पारित किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.7.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर